पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 70/2024

अनवान :

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरदत्त सिंह जाति नाई निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. बंशीलाल पुत्र हरदत्त सिंह जाति नाई निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. हरदत्त सिंह पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. कृष्णा पत्नी हरदत्त सिंह जाति नाई निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कृष्ण गर्ग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संजय कुमार स्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 139/101 के ख0सं0 27/3 की 1.125 है0, ख0सं0 30/2 की 1.480 है0, ख0सं0 30/4 की 0.506 है0, ख0सं0 42 की 0.1520 है0 कुल खसरा 4 की कुल 3.263 है0 प्रतिवादी सं0 1 हरदत्त सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 505/353 के खसरा सं. 29/2 की 0.822 है0 खसरा सं0 52/1 की 1.024 की कुल 1.846 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 हरदत्त सिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों में प्रतिवादी सं0 1 हरदत्त सिंह अकेले की बजाय वादी सं0 1 नरेन्द्र कुमार, वादी सं0 2 बंशीलाल तथा प्रतिवादी सं0 1 हरदत्त सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णा कुमारी द्वारा अपने हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-07-24...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.05 10:41:27 IST
Reason: SelfAttested

29-07-24

(ओमप्रकाश चन्देलिया)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner